**संख्या: 20/2018/536/छप्पन-2018-08/13 टी0सी0**

प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 17 मार्च, 2018

विषय: चौधरी चरण सिंह अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास/विस्तार हेतु भूमि क्रय किए जाने हेतु मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय के सम्बन्ध में ।

महोदय,

चौधरी चरण सिंह अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास/विस्तार हेतु भूमि क्रय किए जाने के सम्बन्ध में मा0 मंत्रिपरिषद की बैठक में दिनांक मार्च, 2018 में निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं:-

(1) चौधरी चरण सिंह अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे विस्तारीकरण एवं अन्य सम्बन्धी कार्यों हेतु भूमि के क्रय हेतु अनुमानित लागत लगभग रूपए 4,79,65,00,325/- (रूपए चार अरब उन्यासी करोड़ पैंसठ लाख तीन सौ पच्चीस मात्र) के व्यय का अनुमोदन प्रदान किया गया।

(2) आपसी समझौते के आधार पर भूमि के क्रय की नीति विषयक राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या-2/2015/215/एक-13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19 मार्च, 2015 द्वारा विहित व्यवस्था के अनुसार अन्तिम रूप से ऑकलित भूमि और उसके कुल मूल्य का प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन/ स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

(3) जिलाधिकारी, लखनऊ तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित प्रस्ताव जिसमें 24.346 हैक्टेयर (60 एकड़) भूमि क्रय किए जाने तथा उसके आगणित मूल्य रूपए 4,79,65,00,325/- (रूपए चार अरब उन्यासी करोड़ पैंसठ लाख तीन सौ पच्चीस मात्र) का अनुमोदन प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है, के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा monetization हेतु चिन्हित अपनी भूमि को लखनऊ विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दिया जाए तथा इस भूमि की आंकलित वैल्यू लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सीधे जिलाधिकारी, लखनऊ को उपलब्ध करा दी जाए। अवशेष धनराशि का भुगतान नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा विभागीय बजट से किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

(4) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से ली जाने वाली भूमि की रजिस्ट्री हेतु ऑकलित स्टाम्प शुल्क से लखनऊ विकास प्राधिकरण को छूट प्रदान किए जाने की अनुमति प्रदान की गई।

http://shodhganga.inflibnet.ac.in

(5) भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क (जो कि लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्राप्य है) के बिना ही लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा इस भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन किए जाने की कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान की गई।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु सुसंगत प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव

**पृ0संख्या-20/2018/536(1)/छप्पन-2018 तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ0प्र शासन/उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि भूमि के क्रय व वैल्यू ऐक्सचेन्ज के सिद्धान्त के आधार पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से प्राप्त होने वाली भूमि, जिसकी लागत मूल्य की लगभग आधी होगी, को लखनऊ विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित कराने एवं उसके पश्चात भूमि के मूल्य को प्राधिकरण द्वारा जिलाधिकारी, लखनऊ को भूमि के क्रय उपलब्ध कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। साथ ही भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से ली जाने वाली भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन को बिना शुल्क लिए ही लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

2- प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से लखनऊ विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित की जाने वाली भूमि की रजिस्ट्री हेतु ऑकलित स्टाम्प शुल्क से लखनऊ विकास प्राधिकरण को छूट प्रदान किए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

3- आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

4- जिलाधिकारी, लखनऊ।

5- अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली।

6- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-7।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in